राजस्थान सरकार
कृषि निदेशालय राज0 जयपुर

क्रमांक प.2(ओ0एण्डएम0)/263/नि0कृ0/ 430-520 दिनांक 17-10-16

1. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक
2. समस्त उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद।
3. समस्त सहायक निदेशक (वि.)
4. उप निदेशक कृषि (प्रशासन) मु0।
5. सहायक निदेशक कृषि (प्रशासन) मु0।
6. प्रशासनिक अधिकारी मु0।

विषय : दि. 07.10.2016 से 30.11.2016 तक कर्मचारी कल्याण अभियान बाबत।

प्रसंग : मुख्य सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग के पत्र क्रमांक प.14(49) कार्मिक/ क–5/2016 दि. 05.10.2016 एवं शासन उप सचिव कृषि (ग्रुप–1) विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(6)कृषि–1/2015 दि. 07.10.2016 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रत्र के निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि सभी मुख्यालय स्तर पर जिला स्तर पर तथा ब्लॉक स्तर पर राज्य कर्मचारियों के सभी प्रकार के लम्बित प्रकरण यथा–सेवा संबंधी, स्थानान्तरण एवं समय पर डीपीसी के आयोजन पदोन्नति वेतन निर्धारण तथा सेवानिवृत्ति के लाभ सेवा संबंधी के प्रकरणों के निष्पादन हेतु दि. 07.10.2016 से 30.11.2016 तक कर्मचारी कल्याण अभियान चलाकर निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। अभियान में तत्परता से प्रयास किया जावे कि विभाग के जिला एवं राज्य स्तरीय पर कार्मिकों की विभिन्न प्रकार की सेवा संबंधी लम्बित परिवेदनाओं/प्रकरणों का निस्तारण किया जावे जिससे कार्मिकों के विभिन्न कार्यालयों में लम्बित प्रार्थनाओं का निस्तारण हो एवं अभियान सारवान रूप से सार्थक साबित हो।

कर्मचारी कल्याण अभियान के संबंध में आपको निर्देश एवं समुचित व्यवस्था/प्रक्रिया निर्धारित कर किये गयी विभाग की अभियान हेतु कार्य योजना के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। जिसकी सूचना उप जिला स्तर पर दिनांक 26.10.2016/जिला खण्ड स्तर पर दिनांक 26.10. 2016/निदेशालय स्तर पर दिनांक 07.11.2016 तक निश्चित रूप से पालना सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को अवगत करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

17-10-16

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक कृषि

क्रमांक प.2(ओ0एण्डएम0)/263/नि0कृ0/ 430-520 दिनांक 17-10-16

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.14(49)/ क–5/16 दि. 05. 10.2016 के संदर्भ में।
2. शासन उप सचिव के पत्र क्रमांक प.13(6)कृषि–1/2015 दि. 07.10.16 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

RECOVERY/F.DRIVE MAY TO DEC-2016/LETTER DATE-14-10-16

प्रपत्र

प्रकरण	उप जिला स्तर पर	जिला स्तर पर / खण्ड स्तर पर	निदेशालय स्तर पर
विभिन्न प्रकार की अवकाश स्वीकृति /सेवा सत्यापन/ पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को प्रेषित करना / वेतन निर्धारण / ए.सी.आर / प्राथमिक जांच / ए.सी.पी. निस्तारण करना / जी.पी.एफ., बीमा ऋण स्वीकृति	लम्बित प्रकरणों को चिन्हित कर सहायक निदेशक कृषि (वि0) (कार्यालयध्यक्ष) दि. 21.10.2016 तक निस्तारण /जिस प्रकरण के निस्तारण के लिए आप अधिकृत ना हो उस प्रकरण को मुख्यालय स्तर पर निस्तारण करने हेतु दिनांक 24.10.16 तक भिजवायें	जिला / खण्ड स्तर पर लम्बित तथा उप जिला स्तर से वांक्षित अनुमोदन आदि का निस्तारण दि. 26.10.2016 तक जिस प्रकरण के निस्तारण के लिए आप अधिकृत ना हो उस प्रकरण को मुख्यालय स्तर पर निस्तारण करने हेतु दिनांक 28.10.16 तक भिजवायें	उप जिला / जिला / खण्ड स्तर से प्राप्त प्रकरणों तथानिदेशालय के कार्मिकों की संस्थापन सम्बन्धित समस्त परिवेदनाएं / लम्बित प्रकरण, डीपीसी / वरिष्ठता सूची उप निदेशक कृषि (प्रशासन) / सहा.निदेशक कृषि (प्रशासन) / प्रशासनिक अधिकारी दि. 07.11.2016 तक निस्तारण करेंगे।